न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

करण संख्या : 59/2020
ारीख दायर : 17.07.2020

अनवान

1. लादूलाल पिता प्रभुलाल जाति ब्राहमण निवासी जालिया तहसील माण्डलगढ़।

वादी....

बनाम

1. कालू पिता सोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी जालिया तहसील माण्डलगढ़।
2. मु0 प्रेम बैवा सोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी जालिया तहसील माण्डलगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।

प्रतिवादीगण....

पस्थित :–

1. श्री संदीप शर्मा (अधिवक्ता वादी)

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक : 30.03.2021

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता वाद त्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ादी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम जालिया पटवार मण्डल नालिया तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित है, जिसके आराजी संख्या 257/1 रकबा .2428 हैक्टेयर, आराजी संख्या 258/1 रकबा 0.0162 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता 260/1 रकबा .1781 हैक्टेयर, आराजी संख्या 262 रकबा 0.2914 हैक्टेयर, आराजी संख्या 393/1 रकबा .4775 हैक्टेयर, आराजी संख्या 421 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, आराजी संख्या 422 रकबा 0. 3642 हैक्टेयर, आराजी संख्या 425 रकबा 0.4209 हैक्टेयर, आराजी संख्या 47/1 रकबा 0. 5637 हैक्टेयर, आराजी संख्या 52/1 रकबा 0.0486 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता, आराजी संख्या 53/1 रकबा 0.3561 हैक्टेयर कुल किता 11 रकबा 3.4642 हैक्टेयर अर्थात् 21 बीघा 08 बिस्वा भूमि दर्ज रिकार्ड स्थित है। उपरोक्त आराजियात पर वादी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का कोई हक अधिकार व स्वामित्व नही है। उक्त आराजियात वादी की खातेदारी हक अधिकार से राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त आराजियात का वादी ने प्रतिवादीगण या अन्य किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से विक्रय हस्तान्तरण नही किया है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजियात में कोई हक अधिकार नही होकर केवल मात्र पडौसी है। वादग्रस्त आराजियात वादी के नाम दर्ज रिकार्ड होकर कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादग्रस्त आराजी संख्या 52/1 रकबा 0.0486 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकार्ड है जो वादी की शेष आराजियात पर आने जाने का एकमात्र रासता है। जो वादी का निजी होकर वादी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड दर्ज है। प्रतिवादीगण ने हमसलाह होकर वादी के वादग्रसत गै0मु0 रास्ता आराजी संख्या 52/1 के सम्पूर्ण रकबे को जबरन बिना अधिकार अतिक्रमण कर हाककर अपने आराजियात में मिला लिया वादी द्वारा विरोध किया गया तो प्रतिवादीगण ने कहा कि उक्त आराजियात हमारी है। तुम अपनी आराजियात की पथरगढ़ी करवा लो वादग्रस्त आराजियात तुम्हारी निकली तो हम प्रतिवादीगण कब्जा छोड़ देगें। वादी द्वारा वादपत्र में अंकित सम्पूर्ण आराजियात की पथरगढी दिनांक 03.06.2020 को करवायी तो पाया कि 52/1 रकबा 0.0486 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ते पर प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा पाया गया। जबकि वादग्रस्त आराजियात गै0मु0 रास्ता में प्रतिवादीगण का हक अधिकार स्वामित्व ना होकर केवल अतिक्रमी है। वादग्रस्त आराजियात से वादी ने प्रतिवादीगण से कब्जा छोड़ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.04.12 14:18:40 IST
Reason: SelfAttested

ड अधिकारी

हेतु कहा तो साफ इन्कार हो गए। तथा लडाई झगड़ा करने लग गये एं वादी को झुठे मुकदमें में फंसाने की धमकी दी। इसलिये मजबुरन वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेदखली का वाद पेश करना पड रहा है। प्रतिवादीगण ने बिना किसी हक अधिकार कि वादग्रस्त आराजियात 52/1 सम्पूर्ण गै0मु0 रास्ते पर जबरन अवैध कब्जा कर अपनी आराजी से मिला लिया। प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजियात गै0मु0 रास्ते से बेदखल किया जाकर कब्जा पूनः वादी को सिपुर्द करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया। दिनांक 16.02.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

दिनांक 15.03.2021 को पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी हेतु वादी की ओर से स्वयः वादी बतौर साक्षी PW-01, PW-02 जगदीश चन्द्र के बयान लेखबद्ध किये गये। वादी ने प्रदर्श संख्या 01 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 दिनांक 18.06.2020 खाता संख्या 255 मौजा 255 जालिया, प्रदर्श संख्या 02 पत्थरगढ़ी मौका पर्चा ग्राम जालिया दिनांक 03.06.2020 को प्रदर्शित करवाया।

हमने अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज, जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 एवं पत्थरगढ़ी मौका पर्चा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है तथा आराजी संख्या 52/1 रकबा 0.0486 गै0मु0 रास्ता पर प्रतिवादी का अवैध कब्जा किए जाने का तथ्य गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का द्वारा वर्णित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा अवैध है तथा प्रतिवादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जाना एवं वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादी को पुनः सुपूर्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम जालिया पटवार हल्का जालिया तहसील माण्डलगढ़ की कृषि भूमि 52/1 रकबा 0.0486 हैक्टेयर भूमि गै0मु0 रास्ता से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर भूमि का कब्जा वादी को सुपूर्द किया जावें। आदेशानुसार डिक्री अलग से तरतीब की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.04.12 14:18:40 IST
Reason: SelfAttested